

No.12012/1/2021-UPP(E-29022)
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 4th March, 2025

To
The Managing Director,
M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited,
Core-3, 9th Floor, Scope Minar,
Laxmi Nagar District Centre, New Delhi – 110092.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for 2nd quarter of 2024-25 in respect of Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), Gorakhpur.

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), Gorakhpur on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for the 2nd quarter of 2024-25, as per details given below:

HURL-Gorakhpur		Rs/MT	
Period	Details	Existing rate	Revised rate
01.07.2024 to 30.09.2024	Concession Price incl. sales tax	43212	43031
Continuing Rate w.e.f. 01.10.2024	Concession Price incl. sales tax	43212	43031

2. The above concession rates and sales tax rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

(Signature)
dt. 03.25

3. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

4. This issues with the concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide E-File of even number.


Yours faithfully,



(Vinay Kumar Yadav)
Section Officer (UPP)
Tele: 23073614

Copy to:

1. Principal Director of Audit, Economic & Service Ministry, AGCR Building, I.P. Estates, New Delhi.
2. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
3. Director General, Fertilizer Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.
4. ED, FICC
5. Director (CE), FICC
6. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
7. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
8. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi - 110066
9. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
10. US (IT), DoF for uploading the same on website of the Department.
11. Guard File.



(Vinay Kumar Yadav)
Section Officer (UPP)
Tele: 23073614

सं.12012/1/2021-यूपीपी (ई-29022)

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 04 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड,

कोर-3, 9वीं मंजिल, स्कोप मियांर,

लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, नई दिल्ली-110092

विषय:-मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)- गोरखपुर के संबंध में वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही लिए आदान मूल्यों में त्रैमासिक वृद्धि/कमी के कारण यूरिया के प्रति मी.टन के लिए अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही के लिए आदान दर में त्रैमासिक वृद्धि/कमी के कारण मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)-गोरखपुर द्वारा उत्पादित यूरिया के प्रति मी.टन के लिए रियायत दरों और बिक्री कर दरों में एनसीवी आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

(एचयूआरएल)- गोरखपुर

रुपए/मी.टन

अवधि	विवरण	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.07.2024 से 30.09.2024 तक	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	43212	43031
01.10.2024 से जारी दरें	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	43212	43031

2. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनंतिम हैं जो बाद में ध्यान में आने वाले आंकड़ों/कार्य प्रणाली और गणना में किसी शुद्धि के कारण लेखा परीक्षा और संशोधन के अध्वधीन हैं।

बिन्धु यादव
04/03/25

3. आप अपने दावे एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में अधोमुखी संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों या एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नए राजसहायता बिलों से विधिवत समायोजित किया जाए तथा यदि सरकार से कोई भुगतान देय न हो तो सरकार को यह राशि नियत तारीख तक लौटा दी जाए।

4. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है जिसकी सूचना समसंख्यक ई-फाइल 29022 द्वारा दी गई है।

भवदीय,

विनय यादव
04.03.25

(विनय कुमार यादव)

अनुभाग अधिकारी (यूपीपी)

टेली: 23073614

प्रतिलिपि:

1. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट्स, नई दिल्ली।
2. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
4. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
5. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
6. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
9. वित्त-II डेस्क, उर्वरक विभाग।
10. अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. गार्ड फाइल।

विनय यादव
04.03.25

(विनय कुमार यादव)

अनुभाग अधिकारी (यूपीपी)

टेली: 23073614